

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 21 नवम्बर, 2017

विषय: वाह्य सहायतित परियोजना यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के अन्तर्गत ट्रान्च-2 (2797-IND) हेतु राज्यांश से धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून के पत्र संख्या: यू.यू.एस.डी.आई.पी. /एफएन्डए/1014 दिनांक 25.09.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सहायतित योजना यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के अन्तर्गत ट्रान्च-2 के कार्यों हेतु स्वीकृत लोन सं0-2797-IND की अवधि जनवरी, 2018 में समाप्त होने एवं लोन अनुबन्ध के बिन्दु 8.21 के अनुसार लोन अवधि समाप्त होने से पूर्व ए0डी0बी0 द्वारा Imprest Advance की सुविधा समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त परियोजना के वित्तपोषण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि ₹ 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़ मात्र) राज्यांश से स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उपरोक्त ट्रान्च-2 के चालू कार्यों हेतु राज्यांश से स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति परियोजना समाप्ति से पूर्व ए0डी0बी0 के माध्यम से यथाशीघ्र राज्य सरकार को करा ली जाय।
- (ii) उक्त धनराशि ₹ 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार अधिप्राप्ति कार्यवाही की गयी है।
- (iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली तथा मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय-समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
- (v) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
- (vi) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (viii) निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या-452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ix) पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (x) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण ईकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
- (xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-03-2018 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

- (xii) परियोजनान्तर्गत व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति देयक समयबद्ध रूप से ए0डी0बी0/भारत सरकार को प्रेषित कर प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करायी जाय। अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव करते समय कार्यवार L-1 दर लागत पर कार्य की अनुमोदित लागत, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति एवं पूर्व अवमुक्त समस्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
- (xiii) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-मत्तदेय-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे ₹ 3950.00 लाख, अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे ₹ 622.12 लाख, ले0शी0-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण-42-अन्य व्यय के नामे ₹ 277.88 लाख तथा अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण-42-अन्य व्यय की मद के नामे ₹ 150.00 लाख डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-520/XXVII(2)/2017, दिनांक: 15 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

सलनक:- अलॉटमेंट आईडी:-15171120128251711300127351711310130.....।

भवदीय,  
(नितेश कुमार झा)  
सचिव।

संख्या : 1405/IV(2)-शा0वि0-2017-06(एडीबी)/11, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, षोडी/नैनीताल।
- 6- कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून।
- 7- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
- 11- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(डी0एम0एस0 राणा)